भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1622

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत पोषण विविधीकरण

1622. डॉ. के. सुधाकर:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री दुलू महतो:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री आलोक शर्मा:
श्री नव चरण माझी:
श्री नलिन सोरेन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत अनाज की टोकरी में दालों, मोटे अनाज और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल (या अन्य फोर्टिफाइड अनाज) की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इसकी स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान अनाज की टोकरी की पोषण संबंधी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है या कराने का विचार है;

(ड.) यदि नहीं, तो पोषण आयाम को सुदृढ़ न करने के पीछे क्या कारण हैं;

(च) क्या भावी चरणों में पीएमजीकेएवाई के पोषण आयाम को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है/स्थिति क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

...2/-

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूँ या मोटे अनाज अथवा इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

वर्तमान में, इस स्कीम के अंतर्गत और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग): भारत सरकार, झारखंड सहित, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से 'चावल फोर्टिफिकेशन पहल' के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। चूंकि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब गेहूं उपभोग करने वाले राज्य हैं; तथा चंडीगढ़, पुडुचेरी 100% डीबीटी वाले संघ राज्य क्षेत्र हैं, अतः इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित नहीं किया जाता है। अक्टूबर 2024 में, मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2028 तक केंद्रीय क्षेत्र की पहल (सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित) के रूप में देश भर में इस पहल को जारी रखने का अनुमोदन दिया।

(घ) से (च): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सके। इस अधिनियम में प्रावधान है कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 माह से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) और पीएम-पोषण स्कीमों के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के पात्र हैं। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, लक्षित लाभार्थियों में पोषण मानकों में सुधार करने के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के द्वारा अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पोषणिक मानदंडों को संशोधित किया है।

(छ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) मध्य प्रदेश राज्य के सीधी संसदीय क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

*****